न्यायालय सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री वर्षा मीना (आर.ए.एस. प्रशिक्षु)

मुकदमा नम्बर :– 08/2019 (पुराना मु0 न0 114/12 व 54/2004)

उनवान

1. श्रीमति प्रेम देवी पत्नी प्रभु जाति मीना निवासी ग्राम नीनोनी, तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

..... वादिया

बनाम

1. मीठया पुत्र हरनारायण
2. कल्या पुत्र हरनारायण
3. किशना पुत्र हरनारायण
4. बृजेश पुत्र मीठया
5. भरतलाल पुत्र पन्ना
6. बत्ती लाल पुत्र पन्ना
7. बाबु पुत्र पन्ना
8. बच्ची पत्नी कल्या
9. सम्पति पत्नी मीठया
10. बृजलाल पुत्र पन्ना
11. प्रेम पत्नी किशना
12. पप्पु पुत्र पन्ना

समस्त जाति मीना निवासीयान ग्राम नीनोनी तहसील व जिला सवाई माधेपुर

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

अभिभाषक :–

1. श्री जगन्नाथ चौधरी वकील वादीया।
2. श्री जगदीश शर्मा वकील प्रतिवादीगण।

निर्णय

दिनांकः–12.02.2020

वादीया द्वारा एक वाद स्थायी निषेधाज्ञा का उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर को पेश किया गया था, जो दिनांक 20.12.11 को उप जिला कलेक्टर से स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया। दावे के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि 1. वादीया व वादीया के दोनो पुत्रो के नाम खसरा नम्बर 150 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, खं0 नं0 189 रकबा 24 बीघा 13 बिस्वा, खं0 नं0 66 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा खं0नं0 67 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा खं0नं0 71 रकबा 1बीघा 9 बिस्वा खं0 नं0 82 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा खं0नं0 102 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा खं0नं0 206 रकबा 11

सहायक कलेक्टर
सवाई माधोपुर

बिस्वा खं0नं0 213 रकबा 16 बिस्वा खं0नं0 174 रकबा 17 बिस्वा स्थित गांव नीनोनी हैं। उक्त आराजीयात वादिया के स्वामित्व व आधिपत्य की है। वादिया का निरंतर कब्जा चला आ रहा हैं 2. वादीया के पिता मूलचन्द मीना का दिनांक 25.5.03 को निधन हो गया था और पिता की वसीयत के अनुसार वादीया व वादीया के दोनो पुत्र संतोष व गोपाल के नाम नामान्तकरण खोल दिया गया। 3. वादिया के पिता के कोई पुत्र सन्तान नही थी केवल वादीया व उसकी बहिन मनभर ही मूलचन्द उर्फ मूल्या की सन्तानें है। 4. वादीया के पिता की देखभाल,दवा दारू का सारा खर्च वादीया व वादीया के पति ने उठाया था, इस कारण वार्द।या के पिता ने अपनी सम्पूर्ण सम्पति को वसियत के द्वारा वादीया को दे दी। 5. प्रतिवादीगण का उपरोक्त वर्णित अराजियात मे किसी भी तरह का कोई कब्जा व अधिकार, सरोकार नही है, उपरोक्त सम्पति की एक मात्र वारिस वादीया व उसके दोनो पुत्र है। 6. दिनांक 25.5.2004 को प्रतिवादीगण ने वादीया व वादीया की माता के साथ मारपीट की और ऐलानियां कहां कि तुम इस आराजियात पर काश्त करगे तो हम तेरे पुरे खानदान को मार डालेगें। इस आराजियात पर अब हम ही कब्जा करके काश्त करेगें। 7. वादीया को अब केवल यही विकल्प एव हक हांसिल है कि वह प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये कि वे वादीया के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजियात पर प्रतिवादीगण स्वयं अथवा अन्य कोई व्यक्ति द्वारा मजाहमत मदाखलत नही करवाये एवं वादीया को शांति पूर्वक काश्त करने दे। 8. बिनायदावा दिनांक 25.5.04 को उत्पन्न हुआ जब प्रार्थीया व उसकी माता अपनी आराजियात पर काश्त करने हेतु गई तो प्रतिवादीगण ने वादीया व उसकी माता के साथ मारपीट कर उक्त भूमि को काश्त नही करने दिया। 9. वाद को सुनवाई का श्रीमान् को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। 10. वाद अन्दर मियाद उचित न्याय शुल्क पर पेश है।11. यहकि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो वादीया के स्वामित्व एवं खातेदारी की आराजियात मे प्रतिवादीगण जबरन कब्जा कर लेगे जिससे प्रार्थीया वादीया तबाह व बरबाद हो जावेगी, वह अपने जायज हक से मेहरूम हो जावेगी, तथा उसको नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा तथा व्यर्थ में ही झगडे बाजी बढेगी। 12. यहकि वादीया का वाद निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावेः– (क)वादीया की अ॒राजी खसरा नम्बर 150 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, खं0 नं0 189 रकबा 24 बीघा 13 बिस्वा, खं0 नं0 66 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा खं0नं0 67 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा खं0नं0 71 रकबा 1बीघा 9 बिस्वा खं0 नं0 82 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा खं0नं0 102 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा खं0नं0 206 रकबा 11 बिस्वा खं0नं0 213 रकबा 16 बिस्वा खं0नं0 174 रकबा 17 बिस्वा स्थित गांव नीनोडी उक्त आराजीयात वादिया के स्वामित्व व आधिपत्य की है।

(ख) प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये कि वे वादीया के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजियात पर प्रतिवादीगण स्वयं अथवा अन्य कोई व्यक्ति द्वारा मजाहमत मदाखलत नही करें।

Varsha

सहायक कलेक्टर
मु० सवाई माधोपुर

(ग) खर्चा मुकदमा वादीया को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

(घ) अन्य दादरसी जो न्यायहित में वादीया के हित मे हो दिलवाई जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया है जो इस प्रकार है।1. वाद पत्र का मद नम्बर 1 अस्वीकार है। विवादित भूमि ग्राम नीनोणी में स्थित होना स्वीकार है। 2. यह कि वाद पत्र का मद नम्बर 2 में मूलचंद की मृत्यु होना स्वीकार है वादिया ने मृतक मूलचन्द की फर्जी वसीयत करवाकर फर्जी तरीके से नामान्तकरण खुलवाया है जिसकी अपील वादिया की बहिन मनभर ने श्रीमान के न्यायालय में कर रखी है। 3. वाद पत्र का मद नं0 3 स्वीकार है। 4. वाद पत्र का मद नम्बर 4 कतई अस्वीकार है वादिया ने कभी भी मृतक मूलचंद की व उसकी पत्नी रामकोरी की सेवा नहीं की,वादिया का एक मात्र उददेश्य मृतक मूलचंद की भूमि को हडपने का रहा है। 5. वाद पत्र का मद न 5 अस्वीकार है 6. वाद पत्र का मद नम्बर 6 अस्वीकार है दिनांक 25.5.04 को कोई वाद कारण ही पैदा नहीं हुआ हैं 7. वाद पत्र के मद नम्बर 7,8,11 अस्वीकार है। एवं 9 व 10 कानूनी होना है। 8. वाद पत्र के मद नं0 12 में अंकित दादरसी क,ख,ग,घ वादीया प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

विशेष विवरण मय काउन्टर क्लेम :–(1) वाके ग्राम निनोणी में खसरा नम्बर 150 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा,का 1/2 भाग खं0 नं0 189 रकबा 24 बीघा 13 बिस्वा का 1/18 भाग खं0 नं0 66 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा खं0नं0 67 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा खं0नं0 71 रकबा 1बीघा 9 बिस्वा खं0 नं0 82 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा खं0नं0 72 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा खं0नं0 102 रकबा 3 बीघा 01 बिस्वा खं0नं0 206 रकबा 11 बिस्वा खं0नं0 213 रकबा 16 बिस्वा खं0नं0 174 रकबा 17 बिस्वा कुल किता 11 कुल रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम नीनोणी तहसील सवाई माधोपुर में स्थित है जिस पर प्रतिवादीगण मृतक मूलचंद के जीवनकाल के समय से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। (2) विवादित भूमि पैतृक भूमि है। (3)विवादित भूमि सजरा खानदान के अनुसार पैतृक भूमि है एवं मृतक मूलचंद को पैतृक भूमि की वसीयत करने का कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं था क्योंकि मृतक की पुत्री मनभर एवं पत्नी रामकोरी जीवित है जिनका तथाकथित वसीयत में किसी तरह का कोई जिक्र एवं वर्णन नहीं किया गया है इसलिए फर्जी वसीयत के आधार पर वादिया को कानूनन किसी तरह के कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। (4) वादिया ग्राम नीनीणी से 10 किलोमीटर दूर ग्राम श्यामपुरा में निवास करती है एवं कभी भी ग्राम निनोणी में काश्त के लिए नही आती है। पूर्व में मु0 मनभर देवी ग्राम निनोणी में अपनी मॉ के साथ निवास करती थी उस समय विवादित भूमि में जो भी फसल पैदा होती थी साझे बांटे पर मनभर को दे देते थे तथी से प्रतिवादीगण का मनभर के समय से एवं मृतक मूलचंद के जीवन काल के समय से करीब 15 वर्ष से प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। मृतक मूलचंद काफी वृद्व आदमी था एवं सास की बीमारी के कारण पीडित रहता था इसलिए मृतक मूलचंद द्वारा विवादित भूमि में काश्त करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। मृतक मूलचंद की सहमति से ही आज तक प्रतिवादीगण शांति पूर्वक काश्त करते आ रहे है। वर्तमान में गांव में पार्टीबाजी होने के कारण एवं मृतक मूलचन्द की

सहायक कलेक्टर

जमीन को हडपने के उददेश्य से गाव वालों ने वादिया को बहका रखी है इसलिए वादिया ने प्रतिवादीगण के विरूद्व कतई झूठे तथ्यों के आधार पर यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं है। (5) वादिया ने एक माह पूर्व प्रतिवादीगण से विवादित भूमि को विकय करने का अनुबंध किया था जिसकी रजिस्ट्री एक हजार रूपये के स्टाम्प पर लिखी गई थी जो आज भी डीडराईटर के पास मोजूद है। (6) वादिया प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न कर रही है इसलिए प्रतिवादीगण की ओर से कउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जा रहा है। (7) वादिया ने मु0 मनभर व रामकोरी को भी पक्षकार नहीं बनाया है जबकि रामकोरी व मनभर मृतक मूलचंद के एक मात्र जीवित वारिस है इस आधार पर भी वाद पत्र चलने योग्य नहीं है (8)यह है कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर डिक्री होने योग्य है क्योंकि प्रतिवादी का विवादित भूमि पर गत 15 वर्षो से मृतक मूलचंद के जीवनकाल के समय से ही कब्जा काश्त होने के कारण स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। (9) काउन्टर क्लेम निर्धारित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत किया है। जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र खारिज फरमाया जाकर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावें।

(अ) यह कि वादिया को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें कि विवादित भूमि वाके ग्राम नीनोणी में स्थित है प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में किसी तरह की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें,न, ही किसी अन्य दीगर व्यक्ति से करावें।

(ब) यह कि विवादित भूमि पैतृक भूमि होने के कारण एवं प्रतिवादीगण का कब्जा मृतक मूलचंद के जीवनकाल के समय से होने के कारण प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें

(स) वादिया ने फजी तरीके से वसीयत के आधार पर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवाया है इसलिए वादिया के नाम का इन्द्राज कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किया जावें ।

(द) अन्य दादरसी जो भी मुफीद हो न्यायहित में प्रतिवादीगण को दिलाई जावें ।

वादिया द्वारा दिनांक 24.4.06 को काउन्टर क्लेम का जवाब निम्न प्रकार पेश किया :– (1) यह कि प्रार्थीया ने कोई बेचान नामा या इकरार नामा अप्रार्थीगण के हक में नही किया है उक्त दस्तावेजात अप्रार्थीगण ने फर्जी तरीके से तैयार किया है। (2) विपक्षीगण ने प्रार्थीया वादीया के पिता के समय कभी पिता की आराजियात पर कब्जा या काश्त नही किया बल्कि कब्जा वादीया व वादीया के पिता का रहा है। (3) वादीया के पिता के हम दो बहन के अलावा कोई औलाद नही थी वादीया के पिता ने वसीयत द्वारा ग्राम नीनोणी की समस्त आराजियात वादीया व उसके दोनो पुत्रो के नाम करदी है। इस कारण विपक्षीगण की नियत खराब हो गई है, और वादिया को परेशान कर उक्त आराजियात पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते है, विपक्षीगण बडा परिवार व झगडालु व खुखार व्यक्ति है और वादीया को डरा धमका कर भगाना चाहते है। (4) यह कि वसीयत नामा को चुनोती वादिया की बहन कर सकती है ओर

सहायक कलेक्टर

विपक्षीगण को काई अधिकार प्राप्त नही है। (5) अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि विपक्षीगण का काउन्टर क्लेम हर्जा खर्चा सहित खारिज फरमाया जावें। एवं एक प्रार्थना पत्र नये खसरा नम्बर का पेश किया जो इस प्रकार है:–ग्राम निनोनी तहसील सवाई माधोपुर मे स्थित **जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 102** ख0नं0 115 रकबा 0.65 है0, ख0नं0 128 रकबा 1.89 है0, ख0नं0 129 रकबा 0.36 है0, ख0नं0 260 रकबा 0.77 है0, ख0नं0 380 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 388 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 464 रकबा 0.17 है0, ख0नं0 465 रकबा 0.05 है0, **कुल किता 8 कुल रकबा 4.24 है0 जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 103** ख0नं0 431/532 रकबा 0.20 है0, ख0नं0 432 रकबा 0.55 है0, **कुल किता 2 कुल रकबा 0.75 है0, जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 75** ख0नं0 222/534 रकबा 0.13 है0, ख0नं0 231 रकबा 0.12 है0, ख0नं0 232 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 233 रकबा 0.17 है0, ख0नं0 234 रकबा 0.33 है0, ख0नं0 235 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 236 रकबा 0.15 है0, ख0नं0 237 रकबा 0.15 है0, ख0नं0 238 रकबा 0.20 है0, ख0नं0 239 रकबा 0.24 है0, ख0नं0 240 रकबा 0.09 है0, ख0नं0 241 रकबा 0.05 है0, ख0नं0 242 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 243 रकबा 0.37 है0, ख0नं0 244रकबा 0.17 है0, ख0नं0 245 रकबा 0.24 है0, ख0नं0 339 रकबा 0.31 है0, ख0नं0 340 रकबा 0.20 है0, ख0नं0 341 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 342 रकबा 0.18 है0, ख0नं0 343 रकबा 0.49 है0, ख0नं0 344 रकबा 0.32 है0, ख0नं0 346 रकबा 0.17 है0, ख0नं0 347 रकबा 0.16 है0, ख0नं0 348 रकबा 0.33 है0, ख0नं0 349 रकबा 0.17 है0, ख0नं0 350 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 351 रकबा 0.13 है0, ख0नं0 352 रकबा 0.12 है0, ख0नं0 358 रकबा 0.17 है0, ख0नं0 359 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 360 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 361 रकबा 0.34 है0, **कुल किता 33 कुल रकबा 6.23 है0**

तनकीयात निम्न प्रकार कायम की गई:–

1. आया वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है कि विवादित आराजीयात ग्राम नौनोणी में वादी के कास्त में मजाहमत व मदाखलत नही करे ? (वादीया)
2. आया विवादित आराजीयात पर प्रतिवादीगण मृतक मूलचन्द के जीवन काल से ही कब्जा कास्त चला आ रहा है। तथा वादिया ने प्रतिवादीगण से विवादित भूमि विक्रय करने का अनुबंध किया था । (प्रतिवादीगण)
3. आया प्रतिवादीगण विवादित आराजी के खातेदार कास्तकार है उदघोषणा कराने के अधिकारी है तथा राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज कराने के अधिकारी है (प्रतिवादीगण)

साक्ष्य वादी में वादीया प्रेम देवी पत्नि प्रभू जाति मीना निवासी नीनोनी के बयान शपथ पत्र पेश हुये। वादीया ने अपने दावे के समर्थन में प्रदर्श 1 प्रमाणित जमाबन्दी सम्वत् 2044–47, ग्राम नीनोनी तह0 व जिला सवाई माधोपुर, प्रमाणित नकल खसरा गिरदावरी प्रर्दश –2, रजिस्टर्ड वसीयत नामा प्रदर्श –3 जिस पर एक्स स्थान पर मूल्या की अगूठा निशानी व ए से बी गवाह रामभरोसी के हस्ताक्षर है, तथा सी से डी गवाह लडडू के हस्ताक्षर है पेश किये प्रतिवादीगण को कई अवसर दिये जाने के बाद भी अपने काउन्टर क्लेम के पक्ष में कोई साक्ष्य पेश नही करने पर दिनांक 29.01.2018 को साक्ष्य प्रतिवादी

सहायक कलेक्टर

बंद की गई । वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई दोराने बहस वकील वादी ने अपने दावे में अंकित तथ्यों को दोहराया व दोराने बहस नवीन जमाबन्दी सम्वत 2073–76 पेश की एवं वकील प्रतिवादी ने अपने कावन्टर क्लेम में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड एवं साक्ष्य का पूर्ण रूप से अवलोकन किया । तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जा रहा हैः–

तनकी नं0 1 आया वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है कि विवादित आराजीयात ग्राम नीनोणी में वादी के कास्त में मजाहमत व मदाखलत नही करे ?

तनकी सं0 1 को सिद्व करने का भार वादिया पर था। जमाबंदी सम्वत् 2044–47 (प्रदर्श–1) का अवलाकेन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि मूल्या पुत्र कोरया जाती मीना के नाम दर्ज थी। खसरा नकल खसरा गिरदावरी (प्रर्दश –2) में भी साबिक खसरा नम्बर 66,67,71,82,102,206,213,174 पर मूल्या पुत्र कोरया दर्ज है। अतः वादिया के पिता मृत्यु से पूर्व विवादित आराजियात साबिक खसरा नम्बर 66,67,71,82,102,206,213,174 पूर्णतः व साबिक खसरा नम्बर 150 का 1/2 हिस्सा व साविक खसरा नम्बर 189 का 1/18 हिस्सा के खातेदार सिद्व है। वादिया प्रेम देवी ने अपने बयान शपथ पत्र में उक्त विवादित भूमि का अपने पिता की वसियत के अनुसार नामान्तकरण खुलना बताया है। इसकी पुष्टि के लिए वादिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणित जमाबन्दी सम्वत 2057 व रजिस्टर्ड वसीयत (प्रदर्श–3) का अवलोकन किया गया है। दिनांक 20.05.1993 को रजिस्टर्ड वसीयत में मूल्या पुत्र कोरया ने उक्त विवादित आराजियात में अपने हिस्से तक अपनी पुत्री प्रेम देवी व प्रेम देवी के पुत्रों गोपाल व संतोष को अपना वारिसान घोषित करके उनके नाम कर दिया। प्रमाणित जमाबन्दी सम्वत 2057 से यह स्पष्ट है कि वसीयत के अनुसार मूल्या पुत्र कोरया मीना के फौत होने पर नामान्तकरण संख्या 70 दिनांक 20.12.2003 को वादिया प्रेम देवी व उसके दोनो पुत्रों गोपाल व संतोष के नाम स्वीकर हुआ इससे वादिया उक्त विवादित आराजियात में अपनी खातेदारी सिद्व करने में सफल हुई है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम में वसीयत के आधार पर हुए नामान्तकरण की अपील वादिया की बहिन मनभर द्वरा न्यायालय में करना बताया है परन्तु इसके समर्थन में प्रतिवादीगण ने कोई भी दस्तावेज इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिससे इस कथन की पुष्टि की जा सके क्यों कि वसीयत को किसी सक्षम न्यायाल में चुनोती नही दी गई है इसलिये वादिया का नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज सही प्रतीत होता है। रिकॉर्डेड खातेदार होने के कारण वादिया प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने की अधिकारी है। अतः तनकी नं0 एक का निर्णय वादिया के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व किया जाता हैं ।

तनकी नं0 2 आया विवादित आराजीयात पर प्रतिवादीगण मृतक मूलचन्द के जीवन काल से ही कब्जा कास्त चला आ रहा है। तथा वादिया ने प्रतिवादीगण से विवादित भूमि विक्रय करने का अनुबंध किया था ?

तनकी संख्या 2 को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण ने वादिया द्वारा विवादित भूमि को प्रतिवादीगण को विक्रय के अनुबन्ध करने के समर्थन में इस न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। प्रतिवादीगण को कई अवसर देने के पश्चात भी किसी प्रकार का लिखित अथवा मौखिक साक्ष्य न्यायालय में पेश करने में असफल रहे है इस प्रकार तनकी सं0 2 का निर्णय प्रतिवादी के विरूद्व व वादी के पक्ष में किया जाता है।

तनकी नं0 3 आया प्रतिवादीगण विवादित आराजी के खातेदार कास्तकार है उदघोषणा कराने के अधिकारी है तथा राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज कराने के अधिकारी है ?

तनकी सं0 3 को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था। विवादित भूमि के पैतृक होने के कारण व मृतक मूलचन्द के जीवनकाल के समय से कब्जा होने के कारण प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार

Varsha
सहायक कलेक्टर

घोषित करने का अनुतोष चाहा है। वादिया ने अपने साक्ष्य में प्रतिवादीगण को स्वयं से 7 पीढी दूर बताया है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम में जो सजरा खानदान पेश किया है उससे वादिया की उक्त साक्ष्य सही प्रतीत होती है। इस प्रकार प्रतिवादीगण मृतक मूल्या के वारिस नहीं हुए अतः मृतक मूल्या की पैतृक भूमि में उनका कोई अधिकार सिद्व नहीं हुआ व तनकी सं0 1 व 2 के विवेचन में प्रतिवादीगण का कोई अधिकार व कब्जा काश्त सिद्व नहीं हुआ है इस कारण प्रतिवादीगण मृतक मूल्या की विवादित आराजियात के खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी नहीं है। इस प्रकार तनकी सं0 3 का निर्णय प्रतिवादीगण के विरूद्व एवं वादिया के पक्ष में किया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह ग्राम नीनोनी तह0 व जिला सवाई माधोपुर में स्थित वादग्रस्त कृर्षि भूमि हाल आराजीयात **जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 102** ख0नं0 115 रकबा 0.65 है0, ख0नं0 128 रकबा 1.89 है0, ख0नं0 129 रकबा 0.36 है0, ख0नं0 260 रकबा 0.77 है0, ख0नं0 380 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 388 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 464 रकबा 0.17 है0, ख0नं0 465 रकबा 0.05 है0, **कुल किता 8 कुल रकबा 4.24 है0** सम्पूर्ण हिस्सा, **जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 103** ख0नं0 431/532 रकबा 0.20 है0, ख0नं0 432 रकबा 0.55 है0, **कुल किता 2 कुल रकबा 0.75 है0** मे वादीया का 1/2 हिस्सा पर इस प्रकार **जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 102** के सम्पूर्ण भाग एवं **खाता संख्या 103** का 1/2 भाग पर समस्त प्रतिवादीगण वादिया के कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाखलत नही करें तथा हाल **जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 75** ख0नं0 222/534 रकबा 0.13 है0, ख0नं0 231 रकबा 0.12 है0, ख0नं0 232 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 233 रकबा 0.17 है0, ख0नं0 234 रकबा 0.33 है0, ख0नं0 235 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 236 रकबा 0.15 है0, ख0नं0 237 रकबा 0.15 है0, ख0नं0 238 रकबा 0.20 है0, ख0नं0 239 रकबा 0.24 है0, ख0नं0 240 रकबा 0.09 है0, ख0नं0 241 रकबा 0.05 है0, ख0नं0 242 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 243 रकबा 0.37 है0, ख0नं0 244रकबा 0.17 है0, ख0नं0 245 रकबा 0.24 है0, ख0नं0 339 रकबा 0.31 है0, ख0नं0 340 रकबा 0.20 है0, ख0नं0 341 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 342 रकबा 0.18 है0, ख0नं0 343 रकबा 0.49 है0, ख0नं0 344 रकबा 0.32 है0, ख0नं0 346 रकबा 0.17 है0, ख0नं0 347 रकबा 0.16 है0, ख0नं0 348 रकबा 0.33 है0, ख0नं0 349 रकबा 0.17 है0, ख0नं0 350 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 351 रकबा 0.13 है0, ख0नं0 352 रकबा 0.12 है0, ख0नं0 358 रकबा 0.17 है0, ख0नं0 359 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 360 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 361 रकबा 0.34 है0, **कुल किता 33 कुल रकबा 6.23 है0** में वादिया व प्रतिवादी सं0 1,2 व 3 सहखातेदार कास्तकार है तथा उनके मध्य विधिवत विभाजन नही हुआ है ऐसी सूरत में सहखातेदार के खिलाफ बिना विधिवत विभाजन किये किसी विशेष भाग पर स्थाई निषेधाज्ञा देने का औचित्य नही है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1,2व 3 के खिलाफ वादिया के 1/18 हिस्से तक उसके संयुक्त कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाखलत नही करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण सं0 4 लगायत 12 को उक्त विवादित भूमि में

सहायक कलेक्टर

वादीया के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजियात पर स्वयं अथवा अन्य कोई व्यक्ति द्वारा मजाहमत मदाखलत नही करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जाता है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम ठोस साक्ष्य व सबूतो के अभाव में खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो निर्णय आज दिनांक 12.02.2020 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया ।

Varsha 12/2/2020

(वर्षा मीना)
सहायक कलेक्टर
(मु0) सवाईमाधोपुर

न्यायालय सहायक कलेक्टर (मु0) सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2020.02.18 10:43:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: